न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी – मृदुला शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या– 124/2025

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
करणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राव निवासी बांजड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		01. दुर्गासिंह पुत्र जसवन्तसिंह 02. सूरजकंवर पुत्री जसवन्तसिंह 03. विमला कंवर पुत्री जसवन्तसिंह 04. नेमाकंवर पुत्री जसवन्तसिंह 05. सुशीलाकंवर पुत्री जसवन्तसिंह 06. संपतकंवर पत्नी जसवन्तसिंह जातियान राव निवासीगण बांजड़ा तहसील बिलाड़ा 07 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थित – वादी – श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी संख्या 1 से 6– के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 7– सरकारी पेरोकार।

निर्णय दिनांकः– 01/04/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 1.7474 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 15 रकबा 2.5645 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 157 रकबा 1.3429 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.7443 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.0113 हैक्टेयर किस्म बारानी अलीफ, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.9304 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नम्बर 325 रकबा 1.3591 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 07 कुल रकबा 9.6999 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता जसवन्तसिंह पुत्र नाथूसिंह की संयुक्त खातेदारी की थी। जसवन्तसिंह के दो पुत्र करणसिंह, दुर्गासिंह तथा चार पुत्रीयां सूरजकंवर, विमला कवंर, नेमाकंवर, सुशीला कंवर तथा पत्नी सम्पतकंवर है। खातेदार जसवन्तसिंह का देहान्त दिनांक 17.04.2021 को हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता जसवन्तसिंह पुत्र नाथूसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1039 स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवष या त्रुटीवष कर्णसिंह नाम लिख दिया, जबकि

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

वादी का वास्तविक नाम करणसिंह है। इसी प्रकार ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 377/77 रकबा 0.9708 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम स्थित है। इसी प्रकार ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 0.2427 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.0081 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 133 रकबा 7.3619 हैक्टेयर कुल खसरा 03 कुल रकबा 7.6127 हैक्टेयर यह भूमि वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता जसवन्तसिंह पुत्र नाथूसिंह की संयुक्त खातेदारी की थी। जसवन्तसिंह के दो पुत्र करणसिंह, दुर्गासिंह तथा चार पुत्रीयां सूरजकंवर, विमला कवंर, नेमाकंवर, सुशीला कंवर तथा पत्नी सम्पतकंवर है। खातेदार जसवन्तसिंह का देहान्त दिनांक 17.04.2021 को हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता जसवन्तसिंह पुत्र नाथूसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1039 स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवष या त्रुटीवष कर्णसिंह नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम करणसिंह है। इसी प्रकार ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 400/23 रकबा 1.3349 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है। यह भूमि वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता जसवन्तसिंह पुत्र नाथूसिंह की संयुक्त खातेदारी की थी। जसवन्तसिंह के दो पुत्र करणसिंह, दुर्गासिंह तथा चार पुत्रीयां सूरजकंवर, विमला कवंर, नेमाकंवर, सुशीला कंवर तथा पत्नी सम्पतकंवर है। खातेदार जसवन्तसिंह का देहान्त दिनांक 17.04.2021 को हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता जसवन्तसिंह पुत्र नाथूसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1039 स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवष या त्रुटीवष कर्णसिंह नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम करणसिंह है। इसी प्रकार ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 0.2427 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन ओडी, खसरा नम्बर 133 रकबा 7.3619 हैक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ कुल खसरा 03 कुल रकबा 7.6127 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता जसवन्तसिंह पुत्र नाथूसिंह की संयुक्त खातेदारी की थी। जसवन्तसिंह के दो पुत्र करणसिंह, दुर्गासिंह तथा चार पुत्रीयां सूरजकंवर, विमला कवंर, नेमाकंवर, सुशीला कंवर तथा पत्नी सम्पतकंवर है। खातेदार जसवन्तसिंह का देहान्त दिनांक 17.04.2021 को हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता जसवन्तसिंह पुत्र नाथूसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1039 स्वीकृत किया

एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश कर्णसिंह नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम करणसिंह है।

वादी करणसिंह को घर में लाड प्यार से कर्णसिंह पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम करणसिंह लिखा हुआ है। जब वादी के पिता जसवन्तसिंह का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण में भूलवश या त्रुटीवश वादी का नाम कर्णसिंह का नाम लिख दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम करणसिंह है। वादी अभी अपनी खातेदारी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने हेतु बैंक मैनेजर के समक्ष गये और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, अंकतालिका, पैनकार्ड, बैंक डायरी, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर के समक्ष पेश किये, जिस पर बैंक मैनेजर ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम करणसिंह लिखा हुआ है और जमाबन्दी में कर्णसिंह लिखा हुआ है, जिस पर बैंक मैनेजर ने ऋण स्वीकृत करने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपने कर्णसिंह के स्थान पर करणसिंह नाम की घोशणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी करणसिंह व कर्णसिंह एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काष्त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि दावे के पद संख्या 1 से 4 की खातेदारी के विरुद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पेश नही की है। अन्त में दावा पेश कर निवेदन किया कि दावे के पद संख्या 1 से 4 में वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड में कर्णसिंह के स्थान पर करणसिंह की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज करने का आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 7 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि पटवार मण्डल सम्बाडिया के राजस्व ग्राम बांजा की वर्तमान जमाबन्दी सम्पत् 2075 से 2078 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019 से स्थाई) के खाता सं. 54 के खसरा क्रमशः 105, 15, 157, 18, 232, 276, 325 में प्रार्थी का नाम कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह हिस्सा 1/6 दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण संख्या 1039 में कर्णसिंह के पिता जसवन्तसिंह के फौत होने पर विरासत

एवं उप खण्ड अधिकारी
सिवाना

नामानारकरण होने पर वारिसान कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह दर्ज है। पटवार मण्डल सम्बाडिया के राजस्व ग्राम बांजडा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019 से स्थाई) के खाता संख्या 53 के खसरा संख्या 377/77 में प्रार्थी का नाम कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह हिस्सा 1/2 दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण संख्या 1039 में कर्णसिंह के पिता जसवन्तसिंह के फौत होने पर विरासत नामान्तरकरण होने पर वारिसान कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह दर्ज है। पटवार मण्डल सम्बाडिया के राजस्व ग्राम बांजडा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019 से स्थाई) के खाता संख्या 53 के खसरा संख्या 400/23 में प्रार्थी का नाम कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह हिस्सा 1/2 दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण संख्या 1039 में कर्णसिंह के पिता जसवन्तसिंह के फौत होने पर विरासत नामान्तरकरण होने पर वारिसान कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह दर्ज है। पटवार मण्डल सम्बाडिया के राजस्व ग्राम बांजडा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019 से स्थाई) के खाता संख्या 167 के खसरा क्रमशः 131, 132, 133 में प्रार्थी का नाम कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह हिस्सा 1/24 दर्ज हैं। जरिये नामान्तरकरण संख्या 1039 में कर्णसिंह के पिता जसवन्तसिंह के फौत होने पर विरासत नामान्तरकरण होने पर वारिसान कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह दर्ज है। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह व करण सिंह पुत्र जसवन्तसिंह एक ही आदमी के दो नाम है। प्रार्थी द्वारा उक्त कथन के संदर्भ में दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड, पैनकार्ड व वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019 से स्थाई) के खाता संख्या 56 खसरा संख्या 169 में करण सिंह पुत्र जसवन्तसिंह दर्ज है तथा आधारकार्ड, पैनकार्ड व उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी का नाग करण सिंह पुत्र जसवन्तसिंह दर्ज है। उक्त सभी दस्तावेजों की जांच हेतु हल्का पटवारी सम्बाडिया मौके पर पहुंचकर मौका फर्द तैयार की जो जवाब के साथ संलग्न है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व मौतबिरानों के बयान के अनुसार करणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह व कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह दोनो एक ही आदमी के दो नाम है। इसलिए जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 4 में वर्णित खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह के स्थान पर करणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह किया जाना उचित है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि जवाब के पद संख्या 1 से 4 में वर्णित खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध इन्द्राज कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज करणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह शुद्ध/दुरुस्त किये जाने की अनुशंषा हल्का पटवारी द्वारा पेश जवाब व मौका फर्द रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। इस कारण दावे में तनकीयात की आवश्यकता नहीं

रही। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र करणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह द्वारा पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेज साक्ष्य रूप में प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 105, 15, 157, 18, 232, 276, 325 ग्राम बांजड़ा, प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 377/77 ग्राम बांजड़ा, प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 400/23 ग्राम बांजड़ा, प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 131, 132, 133 ग्राम बांजड़ा, प्रदर्श 5 मृत्यु प्रमाण पत्र जसवन्तसिंह पुत्र नाथुसिंह, प्रदर्श 6 आधार कार्ड करणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दावे के साथ प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 105, 15, 157, 18, 232, 276, 325 ग्राम बांजड़ा, प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 377/77 ग्राम बांजड़ा, प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 400/23 ग्राम बांजड़ा, प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 131, 132, 133 ग्राम बांजड़ा, प्रदर्श 5 मृत्यु प्रमाण पत्र जसवन्तसिंह पुत्र नाथुसिंह, प्रदर्श 6 आधार कार्ड करणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह आदि को पेश किया है दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम करणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह दर्ज किया हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में वादी की खातेदारी कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह के स्थान पर करणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह की घोषणा कराने के अधिकारी है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 1.7474 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 15 रकबा 2.5645 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 157 रकबा 1.3429 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.7443 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.0113 हैक्टेयर किस्म बारानी अलीफ, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.9304 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नम्बर 325 रकबा 1.3591 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 07 कुल रकबा 9.6999 हैक्टेयर के तथा ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 377/77 रकबा 0.9708 हैक्टैयर तथा ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 400/23 रकबा 1.3349 हैक्टैयर तथा ग्राम बांजड़ तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 0.2427 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.0081 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 133 रकबा 7.3619 हैक्टेयर कुल खसरा 03 कुल रकबा 7.6127 हैक्टैयर के राजस्व रेकर्ड में कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह के स्थान पर करणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01/04/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे कार्यवाही
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी
करणसिंह

बनाम

प्रतिवादीगण
दुर्गाराम वगैरा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट
राजस्व वाद संख्या :- 124/2025

निर्णय

दिनांक :- 01/04/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 7 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 105, 15, 157, 18, 232, 276, 325 कुल खसरा 7 कुल रकबा 9.6999 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 377/77 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 400/23 रकबा 1.3349 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 131, 132, 133 कुल खसरा 3 कुल रकबा 7.6127 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में कर्णसिंह पुत्र जसवन्तसिंह के स्थान पर करणसिंह पुत्र जसवन्तसिंह की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
बिलाड़ा

तीज - मुचलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01/4/2026 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
बिलाड़ा